न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 201/2022

अनवान मुकदमा –

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादी

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 49 रा.का.अधि. बाबत विनिमय:–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता --- वादी
2. श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता --- प्रतिवादी

–:: निर्णय :–

दिनांक – 25.05.2022

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 49 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी का पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है जो सही व सत्य है।

वादी व प्रतिवादी के द्वारा एक दावा पूर्व में अनवान बलराम आदि बनाम रामप्रताप आदि अन्तर्गत धारा 88, 53, 49 राकाअधि के तहत मु.नं. 174/22 श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2022 को निर्णय व डिक्री किया गया है। जिसमें वादी व प्रतिवादी को निम्नानुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई थी –

क. प्रतिवादी बलराम को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 38/36 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 1/.164, 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1/.215 की 2.403 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में वादी सं.2 के 1943/5831 हिस्सा में से 1.176 हैक. व प्रतिवादी सं.1 का तमाम 1012/5831 हिस्सा (उक्त खाता में से प्रतिवादी सं.1 का नाम व हिस्सा कल्मजन होगा व वादी सं.2 का शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा)।

ख. वादी ओमप्रकाश को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक [illegible] 37 के प.नं. 2/342 (35) किला नं. 2 ता 14, 18 ता 22, प.नं. [illegible] (36) किला नं. 1, 2 की कुल 3.427 हैक. नाली प्रथम [illegible] प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम व हिस्सा कल्मजन [illegible] 36 के प.नं. 0/340 [illegible] किला नं. 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 [illegible], 24, 25/1, 25/2 की [illegible] हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:13 IST
Reason: SelfAttested

25.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में वादी सं.2 के 1943/5831 हिस्सा में से 0.767 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी।

प्रतिवादी को धरातल की जानकारी न होने के कारण उक्तानुसार कृषि भूमि का घरू बंटवारा किया गया था जो बिना किसी ज्ञान के किया गया जो कि पक्षकारान की जमीन एक दूसरे से काफी दूर हो गई व कृषि कार्य करना दुर्भर हो गया है। अब वादी व प्रतिवादी ने आपस में अपनी कृषि भूमि का विनिमय किया है। जो निम्न प्रकार से है –

क. वादी ओमप्रकाश को प्राप्त भूमि –
तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में से 1943/5831 हिस्सा (ओमप्रकाश के उक्त हिस्सा में से 1.176 हैक. भूमि बलराम को जरिये डिक्री प्राप्त हुई थी अब उक्त 1.176 हैक. भूमि वापिस वादी ओमप्रकाश प्राप्त करेगा)।

ख. प्रतिवादी बलराम को प्राप्त भूमि –
तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 39/37 के प.नं. 2/342 (35) किला नं. 13/.090, 14/.025, 18/.025, 19/.215, 20/.253, 21/.240, 22/.038, प.नं. 2/343 (36) किला नं. 1/.126, 2/.126 की कुल 1.138 हैक. (उक्त भूमि पूर्व डिक्री में ओमप्रकाश को प्राप्त हुई थी जो अब वापिस प्रतिवादी बलराम को प्राप्त होगी)
शेष कृषि भूमि पूर्व डिक्री अनुसार यथावत रहेगी।

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसी अनुसार वादी विनिमय करवाने का हकदार है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे :–

घोषित किया जावे कि वादी व प्रतिवादी वाद पत्र की दफा 3 की उपदफा क से ख अनुसार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व शेष कृषि भूमि पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री अनुसार यथावत रहेगी।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया [illegible] उभयपक्ष सुनी गयी।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] में [illegible] वाद संख्या 174/2022 में पारित डिक्री दिनांक 08.05.2022 द्वारा [illegible] प्रतिवादी को भूमि का बंटवारा किया गया था। इस बंटवारा डिक्री में ओमप्रकाश को जो भूमि प्राप्त हुई है उसके बदले प्रतिवादी तबादला में उतनी ही भूमि वादी [illegible] देने हेतु सहमत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) मे स्पष्ट है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:13 IST
Reason: SelfAttested

25.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वह सहायक कलेक्टर से उस भूमि के जसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाले भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादी की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार विनिमय किया जाता है–

क. वादी ओमप्रकाश को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में से 1943/5831 हिस्सा (ओमप्रकाश के उक्त हिस्सा में से 1.176 हैक. भूमि बलराम को जरिये डिक्री प्राप्त हुई थी अब उक्त 1.176 हैक. भूमि वापिस वादी ओमप्रकाश प्राप्त करेगा)।

ख. प्रतिवादी बलराम को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 39/37 के प.नं. 2/342 (35) किला नं. 13/.090, 14/.025, 18/.025, 19/.215, 20/.253, 21/.240, 22/.038, प.नं. 2/343 (36) किला नं. 1/.126, 2/.126 की कुल 1.138 हैक. (उक्त भूमि पूर्व डिक्री में ओमप्रकाश को प्राप्त हुई थी जो अब वापिस प्रतिवादी बलराम को प्राप्त होगी)

शेष कृषि भूमि पूर्व डिक्री अनुसार यथावत रहेगी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:13 IST
Reason: SelfAttested

25.05.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 201/2022

अनवान मुकदमा -

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादी

-:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 49 रा.का.अधि. बाबत विनिमय:-

निर्णय

दिनांक :- 25.05.2022

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर, एडवोकेट एवं प्रतिवादी की ओर से श्री जगराज सिंह भारी, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को श्री रणजीत कुमार उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार विनिमय किया जाता है-

क. वादी ओमप्रकाश को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में से 1943/5831 हिस्सा (ओमप्रकाश के उक्त हिस्सा में से 1.176 हैक. भूमि बलराम को जरिये डिक्री प्राप्त हुई थी अब उक्त 1.176 हैक. भूमि वापिस वादी ओमप्रकाश प्राप्त करेगा)।

ख. प्रतिवादी बलराम को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक [illegible] के खाता सं. [illegible]/37 के प.नं. 2/342 (35) किला नं. 13/.090, 14/.025, 18/[illegible], [illegible]/.215, 20/.253, 21/.240, 22/.038, प.नं. 2/343 (36) [illegible] की कुल 1.138 हैक. (उक्त भूमि पूर्व डिक्री में ओमप्रकाश को प्राप्त हुई थी जो अब वापिस प्रतिवादी बलराम को प्राप्त होगी)

शेष कृषि भूमि पूर्व डिक्री अनुसार यथावत रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:13 IST
Reason: SelfAttested

25.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.22 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.05.2022

(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवम्

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:13 IST
Reason: SelfAttested